अध्याय – 6

मंत्रालय/विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन तथा सांविधिक तथा स्वायत्त निकायों के निष्पादन

I. राष्ट्रीय अनुदेशात्मक मीडिया संस्थान, चैन्नई की स्थापना

निमी जी स्थाप-ाा भारत सरजार द्वारा रोजजार एवं प्रशिजज महानिदेशालय, श्रम और रोजजार मंत्रालय जे तहत एज अधी-ास्थ जार्यालय जे रूप में जार्यजारी अभिजरज जे रूप में जी टी जेड (तज-ीजी सहयोज हेतु जर्म-ा अभिजरज), जे माध्यम से जर्म-ी सरजार जी सहायता से दिसम्बर 1986 में जी जई थी। संस्था-ा जो स्वायत्तशासी स्थिति प्रदा-ा जर-ो जे मंत्रिमंडल जे अ-ुमोद-ा जे उपरांत, संस्था-ा जो 1 अप्रैल, 1999 जो सोसाइटी जे रूप में पंजीजृत जिया जया।

दि-ाांज 29.06.2003 जो आयोजित 5वीं बैठज में जी जई सिफारिशों जे आधार पर वर्ष 2003 में संस्था-ा जा -ााम बदलजर राष्ट्रीय अ-ुदेश-ा मीडिया संस्था-ा (निमी) रजा जया।

जतिविधियां

- अ-ुदेशात्मज मीडिया पैजेजों जा विजास
- अ-य पर्यवेजीय सामज्री जा विजास तथा डिजाइनिंज
- प्रशिजुओं जे निर्धारज तथा मूल्यांज-ा जे लिए प्रश्-ा बैंज जा विजास
- निमी द्वारा विजसित उत्पादों जे प्रयोज में प्रशिजज
- जाजरूजता जार्यज्रम जा आयोज-ा
- अ-ुदेशात्मज सामज्री जे अंजरूपज जा विजास
- वीडियो अ-ुदेशात्मज जार्यज्रम जा विजास
- आवधिज सजमताओं जा विजास
- हि-दी व अ-य जेत्रीय भाषाओं में अ-ुदेशात्मज सामज्री जा अ-ुवाद

वित्तीय बजट / भौतिज जार्य-निष्पाद-ा :

वर्ष / अवधि	वित्तीय आवंट-ा (रु. लाज में)	वास्तविज भौतिज जार्य-निष्पाद-ा
2008-09 (वास्तविज व्यय)	150.00	संजल्प-ाा विवरज जे अंतर्जत निर्दिष्ट जार्य अ-ुबंध जे अ-ुसार जिए जा रहे हैं।
2009-10 (वास्तविज दिसम्बर 2009 तज)	बी.ई.:250 व्यय: 226.88	- वही -
2010-11 जे दौरा-ा लजित जार्य निष्पाद-ा	500.00 (सी.डब्ल्यू-250.00)	- वही -

उपलब्धियाँ (2009-2010) 31.12.2009 तज

शिल्पजार प्रशिजज योज-ाा (सी टी एस)

(ज) अ-ाुदेशात्मज सामज्री जा विजास / अ-ाुवाद

1. अब तज इस संस्था-ा -ो अंज्रेजी में 26 व्यवसायों जो शामिल जरते हुए 186 शीर्षज विजसित, मुद्रित एवं प्रजाशित जिए हैं।
2. 233 शीर्षजों जा हि-दी में तथा अ-य जेत्रीय भाषाओं में अ-ाुवाद एवं प्रजाश-ा जिया जया है।

(ज) प्रश्-ा बैंज जा विजास

7 व्यवसाय पूर्ज एवं जार्या-वित जिए जए, 6 व्यवसाय, व्यवसाय परीजा हेतु तैयार हैं एवं 5 व्यवसाय प्रज्रियाधी-ा है।

(ज) जाजरूजता प्रशिजज जार्यज्रम

वर्ष 2009-10 जे दौरा-ा 07 जाजरूजता जार्यज्रम आयोजित जिए जए हैं ।

(घ) राजस्व सृज-ा

-ािमी आई एम पी एस जे विज्रय से 395 लाज राजस्व सृजित जिए जए।

उत्जृष्ट जे-द्र (सी ओ ई)

(ज) अ-ाुदेशात्मज सामज्री जा विजास / अ-ाुवाद

3. इस वित्तीय वर्ष 128 मॉडयूल्स विजसित जिए जए।
4. अब तज इस संस्था-ा -ो 7 जेत्रों जो शामिल जरते हुए 31 शीर्षजों जो विजसित, मुद्रित एवं प्रजाशित जिया है तथा 5 जेत्रों जो शामिल जरते हुए 29 शीर्षज अंज्रेजी में प्रज्रियाधी-ा है।
5. 70 शीर्षजों जा हि-दी में तथा अ-य 6 जा जेत्रीय भाषाओं में अ-ाुवाद एवं प्रजाश-ा जिया जया है।

मॉड्यूलर रोजजारपरज जौशल (एम ई एस)

(ज) अ-ाुदेशात्मज सामज्री जा विजास / अ-ाुवाद

134 शीर्षजों जो विजसित एवं प्रजाशित जिया जा चुजा है। 101 शीर्षजों जो विजसित जिया जा चुजा है तथा प्रजाश-ा हेतु तैयार हैं।

(ज) प्रश्-ा बैंज जा विजास

258 पाठ्यज्रम विजसित जिए जा चुजे हैं।

(ज) आवधिज सजमताओं जा विजास

374 पाठ्यज्रम विजसित जिए जा चुजे हैं।

(घ) वीडियो अ-ाुदेशात्मज ज़ार्यक्र मों ज़ा विज़ास

540 शीर्षज़ पूर्ज ज़िए जा चुज़े हैं।

(ङ) अ-ाुदेशात्मज सामग्री ज़ा हि-दी एवं अ-य जेत्रीय भाषाओं में अ-ाुवाद

32 शीर्षज़ों ज़ा हि-दी एवं अ-य जेत्रीय भाषाओं में अ-ाुवाद जा चुज़ा है।

वर्ष 2010-11 हेतु लज्य

शिल्पज़ार प्रशिजज योज-ाा (सी टी एस)

- 17 व्यावसायों हेतु अ-ाुदेशात्मज सामग्री ज़ा विज़ास।
- 50 शीर्षज़ों ज़ा हि-दी एवं अ-य जेत्रीय भाषाओं में अ-ाुवाद।
- 5 व्यवसायों हेतु प्रश्-ा बैंज़ ज़ा विज़ास।
- 240 भाजीदारों हेतु 8 जाजरूज़ता प्रशिजज ज़ार्यक्र म।
- 150 शीर्षज़ों हेतु अ-ाुदेशात्मज सामग्री ज़े अंज़रूपज ज़ा विज़ास।
- 6 व्यवसायों में ई ज्ञा-ाार्ज-ा अ-ाुदेशात्मज सामग्री ज़ा विज़ास।

उत्ज़ृष्ट ज़े-द्र (सी ओ ई)

- 36 मॉड्यूल्स हेतु अ-ाुदेशात्मज सामग्री ज़ा विज़ास।
- 50 मॉड्यूल्स हेतु हि-दी एवं अ-य जेत्रीय भाषाओं में अ-ाुवाद।
- 6 जेत्रों ज़े लिए प्रश्-ा बैंज़ ज़ा विज़ास।
- 150 शीर्षज़ों हेतु अ-ाुदेशात्मज सामग्री ज़े अंज़रूपज ज़ा विज़ास।
- 6 व्यवसायों में ई ज्ञा-ाार्ज-ा अ-ाुदेशात्मज सामग्री ज़ा विज़ास।

मॉड्यूलर रोजजारपरज़ ज़ौशल (ए ई एस)

- 69 पाठ्यक्र मों हेतु अ-ाुदेशज़ात्मज सामग्री ज़ा विज़ास।
- 50 पाठ्यक्र मों हेतु हि-दी एवं अ-य जेत्रीय भाषाओं में अ-ाुवाद।
- 250 पाठ्यक्र मों ज़े लिए प्रश्-ा बैंज़ ज़ा विज़ास।
- 424 पाठ्यक्र मों हेतु आवधिज़ सजमताओं ज़ा विज़ास।
- 30 पाठ्यक्र मों हेतु वीडियो अ-ाुदेशात्मज ज़ार्यक्र म ज़ा विज़ास।
- 200 पाठ्यक्र मों हेतु अ-ाुदेशात्मज सामग्री ज़े अंज़रूपज ज़ा विज़ास।
- 15 पाठ्यक्र मों हेतु ई ज्ञा-ाार्ज-ा अ-ाुदेशात्मज सामग्री ज़ा विज़ास।

II lkekftd lqj{kk

1. कर्मचारी राज्य बीमा योजना

विभिन्न मुख्य शीषों तथा बजटीय परिव्यय के अंतर्गत वर्ष 2010–11 निगम की आय व व्यय निम्नलिखित है।

ys[kk 'kh"kZ	okLrfod vkadM+s 2008&2009	okLrfod vkadM+s 4@2009 ls 09@2009 ¼yk[k #i;s esa	(**)ctV iwokZuqeku 2010-2011
jktLo izkfIr;ka %			
1. vf'knku&नियोजकों एवं कर्मचारियों का शेयर	369853.27	180012.54	396090.00
2. ब्याज और लाभांश	66327.23	51371.91	152339.10
3. मुआवजा	76.11	(*)	0.00
4. किराया, दर तथा कर	6586.05	476.41	6659.95
5. चिकित्सा हितलाभ के लिए राज्य सरकारों का शेयर जो प्रथमतः क.रा.बी. निगम द्वारा	758.49	0.00	1000.00
6. शुल्क, जुर्माना एवं जब्तियां	937.41	546.30	846.65
7. विविध	707.14	326.30	515.45
8. dqy jktLo izkfIr;ka %	**445245.70**	**232734.12**	**557451.15**
9. व्यय			
fgrykHk			
10. चिकित्सा हितलाभः	112322.32	60743.38	254025.00
11. नकद हितलाभः	(***) 38153.87	(***)19072.52	(***)50964.65
12. अन्य हितलाभः	168.87	73.15	271.05
13. dqy fgrykHk%	**150645.06**	**79891.06**	**305260.70**
14. iz'kklfud 0;;%	**41276.17**	**32872.78**	**67385.15**
अस्पताल और औषधालयों के लिए प्रावधानः			
15. क) मूल्यह्रास	4304.86	(*)	4745.70
16. ख) मरम्मत और अनुरक्षण	6457.29	(*)	7118.55
17.. ग) नगरपालिका कर	501.07	(*)	600.00

vkjf{kr fuf/k%			
18. आकस्मिक आरक्षित निधि	शून्य	शून्य	शून्य
19. पूंजीगत निर्माण निधि	3698.53	(*)	3960.90
20. jktLo y[kk ij dqy O;;	**206882.90**	**(*)**	**389071.00**
21. O;; ls vf/kd vk; dk fuoy varj	**238362.72**	**(*)**	**168380.15**

(*) वास्तविक आंकड़े वित्त वर्ष की समाप्ति पर उपलब्ध होते हैं।

(**) इसमें स्थायी अपंगता हितलाभ तथा आश्रितजन हितलाभ से संबंधित 09/2007 तक किया गया वास्तविक भुगतान शामिल हैं जबकि 2006–07 हेतु वास्तविक आंकड़े तथा 2008–09 के बजट प्राक्कलन में स्थायी अपंगता हितलाभ तथा आश्रितजन हितलाभ का पूंजीगत मूल्य शामिल है।

शीर्ष वार विवरण

- क्रमांक 1 कर्मचारियों तथा नियोजकों से उनकी मजदूरी की निर्धारित प्रतिशतता पर प्राप्त अंशदान से संबंधित है। (कर्मचारी की कुल मजदूरी के अुनसार कर्मचारी अंशदान 1.75 प्रतिशत तथा नियोजक अंशदान 4.75 प्रतिशत है।)
- क्रमांक 2 क.रा.बी. निगम की अधिशेष निधि के निवेश के लेखा पर प्राप्त ब्याज एवं लाभांश से संबंधित है।
- क्रमांक 3 अखिल भारतीय औसत से अधिक बीमारी हितलाभ के अधिक भुगतान के लेखे पर राज्य सरकार से प्राप्त क्षतिपूर्ति से संबंधित है।
- क्रमांक 4 अस्पताल एवं औषधालय भवनों हेतु राज्य सरकार से प्राप्त किराया, दर एवं कर से संबंधित है।
- क्रमांक 5 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से प्राप्त भुगतान से संबंधित है जहां योजना क. रा.बी. निगम द्वारा सीधे चलायी जाती है।
- क्रमांक 6 नियोजकों पर लगाए गए हर्जाने एवं दंड के लेखे पर प्राप्त भुगतान से संबंधित है जो समय पर भुगतान नहीं करते हैं।
- क्रमांक 7 डुप्लीकेट पहचान पत्र की लागत, लेखा परीक्षा में नामंजूर अधिक भुगतान की वसूलियों तथा प्रकृति अवर्गीकृत और में विविध प्राप्तियों से संबंधित है।
- क्रमांक 10 बीमाकृत व्यक्तियों को चिकित्सा हितलाभ प्रदान करने पर व्यय की गई राशि से संबंधित है।
- क्रमांक 11 योजना में व्याप्त बीमाकृत व्यक्तियों को बीमारी हितलाभ, विस्तारित बीमारी हितलाभ, प्रसूति हितलाभ, अस्थायी अपंगता हितलाभ, स्थायी अपंगता हितलाभ, आश्रितजन हितलाभ के

भुगतान से संबंधित है।

- क्रमांक 12 चिकित्सा बोर्ड तथा अपील अधिकरण में पेश होने, पुनर्वास भत्ता, विविध तथा राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना के लिए बीमाकृत व्यक्तियों के लिए गए भुगतान से संबंधित है।
- क्रमांक 14 क.रा.बी. मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रशासन पर किए गए व्यय की राशि से संबंधित है।
- क्रमांक 15 एवं 16 परियोजना की पूंजीगत लागत की कतिपय प्रतिशतता पर मूल्यह्रास और मरम्मत एवं रखरखाव के प्रावधान से संबंधित है (परियोजना की पूंजीगत लागत का 4 प्रतिशत की दर पर मूल्यह्रास एवं 8 प्रतिशत दर पर मरम्मत एवं रखरखाव के लिए)।
- क्रमांक 17 क.रा.बी. भवनों के लिए नगरपालिका प्राधिकारियों को नगरपालिका करों के भुगतान से संबंधित है।
- क्रमांक 19 अंशदान आ की कतिपय प्रतिशतता पर पूंजीगत निर्माण हेतु प्रावधान से संबंधित है (अंशदान आय के 1 प्रतिशत की दर पर)।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना का परिणाम एवं परिचय

Ø- l‌-	;kstuk	okLrfod 2008&2009 dk ifj.kke	y{; 2009&2010 ds fy, y{;	y{; 2010&2011 ds fy, ifj0;;
1	केन्द्रों की संख्या	783	861	954
2	व्याप्त कर्मचारियों की संख्या (लाखों में)	125.69	128.18	129.79
3	चिकित्सा देख रेख के लिए हकदार बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या (लाखों में)	129.38	131.93	133.59
4	परिवार के सदस्यों की संख्या जिन पर चिकित्सा देख रेख का विस्तार किया गया है (लाखों में)			
	क) बीमाकृत व्यक्तियों को छोड़कर	372.60	379.97	384.74
	ख) बीमाकृत व्यक्तियों को मिलाकर	501.98	511.90	518.33
5	अस्पतालों तथा अनैक्सियों की संख्या	190	190	190

6	बिस्तरों की संख्या			
	क) बिस्तरों की संख्या (सरकारी तथा अन्य मान्यता प्राप्त अस्पतालों में आरक्षित बिस्तरों सहित)	27,739	30,687	30,765
	ख) निर्माणाधीन अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या	610	750	750
7	औषधालयों की संख्याः	1,390	1,393	1,393
8	पेनल क्लीनिकों की संख्या	1,678	1,762	1,806
9	रोगियों की संख्या जिनका उपचार किया गया :			
	क) अस्पतालों में दाखिल किए गए रोगियों की संख्या (लाखों में)	3.38	4.60	5.40
	ख) औषधालयों में उपस्थित (बीमाकृत व्यक्ति और परिवार के सदस्य होना)			
	1) नए मामले	207.21	223.30	240.07
	2) पुराने मामले	226.35	237.25	254.20
10	पेंशन प्राप्त करने वाले आश्रितजनों की संख्या (यानी आश्रितजन हितलाभ के लिए लाभाधिकारियों की संख्या)	75,537	77,622	79,427
11	स्थायी अपंगता हितलाभ प्राप्त करने वाले लाभाधिरियों की संख्या	179341	184319	189297
12	स्टॉफ की स्थिति			
	1. चिकित्सा कार्मिक	18402	19333	19817
	2. अन्य	16882	17726	18169

2- jktho xk/kh Jfed dY;k.k ;ktuk %

क.रा.बी निगम ने 1.4.2005 से ऐसे कामगारों के लिए राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना (बेरोजगारी भत्ता योजना) शुरू की है जो कम से कम 5 वर्ष तक बीमित रोजगार में रहा हो, तथा छंटनी, कारखानों/स्थापनाओं की बंदी तथा स्थायी अशक्तता के कारण अनैच्छिक रूप से बेरोजगार हो जाएं। किसी बीमाकृत व्यक्ति की अपने सम्पूर्ण बीमा योग्य रोजगार के दौरान बेरोजगारी भत्ता आहरित करने की पात्राता की अधिकतम अवधि 6 माह होगी। बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र बीमाकृत व्यक्ति उसी अवधि हेतु चिकित्सा हितलाभ के लिए भी पात्र हैं। अप्रैल 2007 से सितम्बर, 2007 की अवधि के बीच वास्तविक व्यय 62.25 लाख रुपये हैं।

ekuhVfjax rU= %

निगम में विभिन्न कार्य मदों हेतु वित्तीय और वास्तविक लक्ष्य/परिव्यय दोनों के लिए नीचे दिए गए ब्योरे के अनुसार एक सुविकसित प्रबंधन तंत्र विद्यमान है।

- क्रमांक 1 पर उल्लिखित मद के संबंध में प्रबोधन बीमा आयुक्त के नियंत्रणाधीन निदेशक (यो.एवं वि.) द्वारा किया जाता है।
- क्रमांक 2,3,4,10 और 11 पर उल्लिखित पद के संबंध में प्रबंधन बीमा आयुक्त के नियंत्रणाधीन अपर आयुक्त (बीमांकन) द्वारा किया जाता है।
- क्रमांक 5,6 और 7 पर उल्लिखित मद के संबंध में प्रबंधन अपर आयुक्त (निर्माण) के नियंत्रणाधीन संयुक्त निदेशक (निर्माण) द्वारा किया जाता है।
- क्रमांक 8,9 और 12 पर उल्लिखित मद के संबंध में प्रबंधन चिकितसा आयुक्त के नियंत्रणाधीन उप चिकित्सा आयुक्त द्वारा किया जाता है।

¼[k½ deZpkjh Hkfo"; fuf/k laxBu

जर्मचारी भविष्य िनिधि संजठ-ा (ज.भ.िन.सं.) एज सामाजिज सुरजा संजठ-ा है जिसजा जठ-ा जर्मचारी भविष्य िनिधि एवं प्रजीर्ज उपबंध अधि-ियम, 1952 (1952 जा 19) (अधि-ियम) जे अंतर्जत जिया जया । यह अधि-ियम फैक्ट्रियों एवं अ-य स्थाप-ााओं में जार्यरत जर्मचारियों जे लिए भविष्य िनिधि, पेंश-ा िनिधि एवं िनजेप सहबद्ध बीमा िनिधि उपलब्ध जरा-े जा जार्य जरता है । जर्मचारी भविष्य िनिधि संजठ-ा जे सृज-ा जा एजमात्र उद्देश्य अधि-ियम जे उपबंधों एवं उसजे अंतर्जत ब-ााई जई ती-ों योज-ााओं, यथा जर्मचारी भविष्य िनिधि योज-ाा, 1952, जर्मचारी पेंश-ा योज-ाा, 1995 तथा जर्मचारी िनजेप सहबद्ध बीमा योज-ाा, 1976 जो प्रशासित जर-ाा है । इ-ा ती-ों योज-ााओं जो ब-ाा-े जा उद्देश्य व्यवसायिज एवं औद्योजिज स्थाप-ााओं में जार्यरत श्रमिजों जो सेवािनवृत्ति हो-े पर संचित भविष्य िनिधि तथा पेंश-ा लाभ जे रूप में आर्थिज लाभ तथा सेवा जे दौरा-ा मृत्यु हो-े पर जवर्ड जर्मचारियों जे परिवार जे सदस्यों जो बीमा लाभ उपलब्ध जरा-ाा है । वर्तमा-ा में जर्मचारी भविष्य िनिधि संजठ-ा आर्थिज लाभ जे रूप में 4 जरोड़ से ज्यादा सदस्यों तथा प्रभावी रूप से अभिदाताओं जे 20 जरोड़ से ज्यादा व्यक्तिजत परिवार जे सदस्यों जो सामाजिज सुरजा उपलब्ध

ज राता है ।

जैसाजि अधिनियम जी प्रस्ताव-ाा से स्पष्ट है जि इसे फैक्ट्रियों एवं अ-य स्थाप-ााओं में जार्यरत जर्मचारियों जे लिए भविष्य निधि, पेंश-ा निधि एवं निजेप सहबद्ध बीमा निधि जा संस्थाप-ा उपलब्ध जरा-ो जे लिए ब-ााया जया है । यह अधिनियम श्रमिज वर्ज एवं औद्योजिज जा-ाू-ाों से संबद्ध है । इसे संसद द्वारा भारत जे संविधा-ा जे अ-ाुच्छेद 38 जे अंतर्जत निदेशात्मज सिद्धांत जे अंतर्जत निर्धारित उद्देश्यों अर्थात राज्य-आय, स्थिति, सुविधाओं एवं अवसरों में असमा-ाता जो जम जर-ो जा प्रयास जरेजा तथा अ-ाुच्छेद 43 जे अंतर्जत निदेशात्मज सिद्धांत जे अंतर्जत निर्धारित उद्देश्यों जो प्राप्त जर-ो जा प्रयास जरेजा । जिसजे अ-ाुसार च्राज्य सभी श्रमिजों जो निर्वाह मजदूरी, जार्य जी परिस्थितियाँ, उपयुक्त जीव-ा स्तर तथा म-ाोरंज-ा, सामाजिज तथा सांस्कृतिज अवसरों जा पूर्ज आ-ांद ले-ाछ सुनिश्चित जर-ो जा प्रयास जरेजा ।

उपर्युक्त सांविधिज उपबंधों जे भाव जो ज्रहज जरते हुए ; अधिनियम जा लज्य श्रमिजों जी सामाजिज एवं आर्थिज स्थिति में सुधार जर-ो जे साथ-साथ राष्ट्रीय उत्पादजता में सहभाजी श्रमिज बल जे जल्याज जो बढ़ावा दे-ाा है ।

जर्मचारी भविष्य निधि संजठ-ा जी जार्रवाई जा प्रशास-ा देशभर में व्याप्त लजभज 121 फील्ड जार्यालयों जे -ोटवर्ज जे द्वारा जे-द्रीय -यासी बोर्ड, जर्मचारी भविष्य निधि -ाामज त्रिपजीय निजाय द्वारा जिया जाता है जिसमें नियोक्ता, जर्मचारियों तथा सरजार जे प्रतिनिधि शामिल होते हैं ।

जर्मचारी भविष्य निधि संजठ-ा जी मुज्य जतिविधियाँ निम्-ालिजित हैं :-

1. सभी जवर्ड स्थाप-ााओं जे सभी पात्र सदस्यों जो उपयुक्त रूप से उपयुक्त समय पर लाभ उपलब्ध जरा-ाा ।
2. नियोक्ताओं द्वारा सांविधिज उपबंधों जा अ-ाुपाल-ा सुनिश्चित जरवा-ाा तथा सांविधिज देयों जो तत्जाल जमा जरा-ाा तथा रिर्ट-ा भर-ाा सुनिश्चित जरा-ाा ।
3. ती-ाों निधियों तथा अभिदाताओं जे जातों जे रजरजाव जो अद्यत-ा जर-ाा ।
4. आवश्यजता पड़-ो पर जुछ विशेष जार्यों जे लिए अभिदाताओं जो उ-ाजे जर्मचारी भविष्य निधि जमा से अज्रिम ले-ो जी स्वीजृति दे-ाा ।
5. प्रत्येज अभिदाता जो प्रतिवर्ष भविष्य निधि जाते जी विवरजी उपलब्ध जराजे उसे उसजे भविष्य निधि जाते में जमा राशि जे विषय में सूच-ाा दे-ाा ।
6. सदस्य जी मृत्यु हो-ो पर अथवा सदस्यता समाप्त हो-ो जी स्थिति में अभिदाताओं जे जातों जो तत्जाल निपटा-ाा ।

पूर्व निष्पादन की समीक्षा

¼,½ deZpkjh Hkfo"; fuf/k ;kstuk] 1952

क्र.सं.	सूचना की प्रकृति	2008-09 के वास्तविक आकडे	2009-10 के लिए अनुमान	2010-11 के लिए अनुमान
1	उद्योगो /स्थापनाओं के वर्गो की संख्या जिन पर अधिनियम लागू होता है ।	**186**	**186**	**186**
2.	अंशदाता (लाखों में)			
	1) छूट प्राप्त	**43.92**	**45.00**	**47.00**
	2) अछूट प्राप्त	**426.80**	**435.00**	**450.00**
3.	अछूट प्राप्त स्थापनाओं के संबंध में अंशदान पर ब्याज दर **.** (प्रति वर्ष)	**8.50%**	**8.50%**	**8.50%**
4.	अछूट प्राप्त स्थापनाओं के संबंध में प्राप्त संभावित भविष्य निधि अंशदान (करोडों में)	**23142.70**	**25887.58**	**27894.24**
	निवल			
5.	अछूट प्राप्त स्थापनाओ के संबंध में भविष्य निधि दावों का निपटान			
	क) निपटाए गए दावों की संख्या (लाखों में)	**34.73**	**36.00**	**40.00**
	ख) भुगतान की गई राशि (**रू.**करोडों में)	**10038.57**	**11000.00**	**12000.00**
6.	अप्रतिदेय अग्रिम (अछूट प्राप्त स्थापनाएं)			
	क) स्वीकृत अग्रिमों की संख्या (लाखों में)	**3.22**	**4.00**	**4.50**
	ख) भुगतान की गई राशि (रू. करोडों में)	**1642.48**	**1750.00**	**1900.00**
7.	चूककर्ता स्थापनाओं के संबंध में विशेष आरक्षित निधि (वसूलनीय) से सदस्यों को भुगतान की गई राशि (लाखों में)	**0.59**	**0.80**	**1.00**
8.	बकाया (अछूट प्राप्त स्थापनाएं) भविष्य निधि			
	क) मामलों की संख्या- वर्ष के दौरान जारी (वसूली प्रमाण पत्र)	**19111**	**20000**	**21500**
	ख) वर्ष के अंत में कुल बकाया राशि (करोडों में)	**212.84**	**250.00**	**300.00**
	ग)उपर्युक्त (ख) के परिणामस्वरूप वसूल की गई /वसूली जाने वालीराशि (करोडों में)	**1354.10**	**1450.00**	**1550.00**
	घ) धारा 406/409/आई पी सी के अंतर्गत लगाया गया अभियोजन	**1280**	**1325**	**1400**
9.	भविष्य निधि संचयन का निवेश /छूट प्राप्त एवं अछूट प्राप्त स्थापनाएं जिसमें परिशोधन एवं ब्याज भी शामिल हैं (करोडों में)			
	क) अछूट प्राप्त	**21473.69**	**26031.81**	**27104.66**
	ख) छूट प्राप्त	**7536.51**	**8500.00**	**9000.00**
10.	जारी लेखा विवरणियों की संख्या (लाखों में)	**584.93**	**650.00**	**725.00**

[बी] कर्मचारी पेंशन योजना, 1995

(करोडों में)

क्र.स.	विवरण	2008-09 के वास्तविक आकडे	2009-10 के लिए अनुमान	2010-11 के लिए अनुमान
1.	**प्राप्त अंशदान**			
	क). नियोक्ता भाग (करोडों में)	**9320.56**	**10500.00**	**12000.00**
	ख) सरकार का भाग (करोडों में)	**1167.22**	***2185.14**	**1671.07**
2.	**लाभार्थियों को भुगतान की गई राशि**			
	क) निपटाए गए दावों की संख्या (लाखों में)	**26.59**	**28.00**	**30.00**
	ख). भुगतान की गई राशि (करोडों में)	**4790.78**	**5176.00**	**5539.25**

* वर्तमान वर्ष का अनुमानित अंशदान : रु. 1462.18 (करोडों में)एवं
दिनांक 31.03.09 को बकाया : रु. 722.96(करोडों में) सहित

[सी] कर्मचारी निक्षेप सहबद्व बीमा योजना,1976

क्र.सं.	विवरण	2008-09 के वास्तविक आकडे	2009-10 के लिए अनुमान	2010-11 के लिए अनुमान
1.	**प्राप्त अंशदान**			
	नियोक्ता भाग (करोडों में)	**368.40**	**398.40**	**433.60**
2.	**लाभार्थियों को भुगतान की गई राशि**			
	क) निपटाए गए दावों की संख्या (लाखों में)	**0.20**	**0.21**	**0.24**
	ख). भुगतान की गई राशि (करोडों में)	**48.62**	**50.00**	**55.00**

वित्तीय समीक्षा

ज र्मचारी भविष्य ि-धि योज-ाा 1952 एवं ज र्मचारी पेंश-ा येाज-ाा 1995 जे प्रशास-ा पर हो-ो वाले व्यय जो ज र्मचारी भविष्य ि-धि योज-ाा जे अंतर्जत ि-योक्ताओं द्वारा दिए जा-ो वाले प्रशासज्ीय एवं ि-रीजज प्रभार जे द्वारा वह-ा जिया जाता है । ज र्मचारी ि-जेप सहबद्व बीमा योज-ाा, 1976 जे प्रशास-ा जा व्यय योज-ाा जे अंतर्जत लजाए जा-ो वाले प्रशासज्ीय एवं ि-रीजज प्रभार द्वारा जिया जाता है ।ज र्मचारी भविष्य ि-धि योज-ाा 1952 (ज र्मचारी पेंश-ा योज-ाा, 1995 सहित) तथा ज र्मचारी ि-जेप सहबद्व बीमा योज-ाा, 1976 जे संबंध में राजस्व प्राप्ति,राजस्व व्यय, पूंजीजत व्यय तथा ऋज एवं अग्रिम जे पु-ार्भुजता-ा जी स्थिति -ाीचे दर्शाई जई है:

कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 (कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 सहित)

(रू. करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2008-09 के वास्तविक आकडे	2009-10 के लिए अनुमान	2010-11 के लिए अनुमान
1.	**आय**	**1828.65**	**2129.11**	**2314.56**
	(राजस्व प्राप्तियां)			
2.	**व्यय**			
	i. राजस्व व्यय	801.57	1397.65	1364.71
	ii. पूजी गत व्यय	10.23	90.80	136.13
	कुल (i + ii)	**811.80**	**1488.45**	**1500.84**

कर्मचारी निक्षेप सह बद्व बीमा योजना, 1976

क्र.स.	विवरण	2008-09 के वास्तविक आकडे	2009-10 के लिए अनुमान	2010-11 के लिए अनुमान
1.	**आय**			
	(राजस्व प्राप्तियां)	103.01	125.70	127.60
2.	**व्यय**			
	राजस्व व्यय	8.10	14.12	13.78

III. श्रम शिक्षा

(क) वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान नौएडा

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है जिसकी स्थापना सोसायटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अन्तर्गत जुलाई 1974 में की गयी थी। श्रम अनुसंधान एवं शिक्षण के क्षेत्र में संस्थान अग्रणी संस्थान है। अपनी स्थापना काल से ही यह संस्थान अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षण और प्रकाशनों के माध्यम से संगठित और असंगठित क्षेत्र में श्रम के विभिन्न पहलुओं से संबंधित विविध समूहों तक पहुंचने का प्रयास करता रहा है। इन प्रयासों के केंद्र में संस्थान की प्रतिबद्धता यह रही है कि वह अपनी अकादमिक अर्न्तदृष्टि और श्रम के प्रति अपनी समझ का प्रयोग, नीति निर्माण तथा इससे संबंधित कार्यवाही इस प्रकार करे कि प्रजातांत्रिक समाज में श्रम का समुचित स्थान सुनिश्चित किया जा सके ।

अनुसंधान का स्थान संस्थान की प्रमुखतम गतिविधियों में से है। इसके अनुसंधान में संगठित और असंगठित दोनों ही क्षेत्र की श्रम से संबंधित व्यापक समस्याएं शामिल की जाती हैं। अनुसंधान के लिए विषयों की पहचान तथा वर्तमान में उनकी प्रासंगिकता से संबंधित नीतियों का चुनाव करते समय सावधानी बरती जाती है। संस्थान गैर संगठित क्षेत्र से संबंधित समस्याओं और मुद्दों को सामान्यतया अधिक महत्व देता है और इनमें भी अपेक्षाकृत बाल श्रम, महिला श्रमिक, प्रवासी श्रमिक तथा ग्रामीण श्रमिक से संबंधित समस्याओं और विषयों को प्राथमिकता दी जाती है। संस्थान की अनुसंधानिक गतिविधियों से ट्रेड यूनियन नेताओं, संगठित और असंगठित क्षेत्र के संगठनकर्ताओं, निजि तथा सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबंधकों, श्रम प्रशासकों तथा गैर सरकारी संस्थाओं के स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं के विभिन्न समूहों की आधारभूत आवश्यकताओं का पता लगाया जाता है ।

dqN eq[; vuqla/kku vkSj fØ;kfUo"B vuqla/kku ifj;kstuk,a fuEufyf[kr gS&

1. इंटीग्रटिड प्रोजेक्ट आन लेबर हिस्ट्री – इस परियोजना में भारतीय श्रम अभिलेखागार का समेकन, श्रम आंदोलन से संबंधित सामग्री का संग्रह आदि शामिल हैं।
2. प्रिवेंशन आफ एच.आई.वी./एडस एट वर्क प्लेस – वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन श्रम की दुनिया में एच.आई.वी./एड्स की रोकथाम पर तकनीकी संसाधन समूह के रूप में कार्य करता है।

बाल श्रम क्षेत्र में संस्थान ने विशेष स्थान पाया है और इस क्षेत्र में शिक्षा और प्रशिक्षण कर अग्रणी संस्थान बन गया है। इस संस्थान को आइ.एल.ओ. – आइपेक के अंतर्गत नोडल संस्थान घोषित किया गया है । राष्ट्रीय बाल श्रम संसाधन केंद्र की स्थापना इसी उद्देश्य के लिए की गई है । संस्थान बाल श्रम समस्या से संबंधित कार्यकलापों को सुदृढ़ करता आया है । इस उद्देश्य के लिए रिपोर्टें तैयार करने, स्थिति पत्र तैयार करने, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने और कार्यक्रम पैकेज बनाने और अन्य कार्यो का आयोजन करता है।

यह संस्थान प्रकाशन के क्षेत्र में अवार्ड डाइजेस्ट, श्रम विधान, लेबर एण्ड डेवल्पमेंट नामक नियमित पत्र–पत्रिकाओं का प्रकाशन करता आ रहा है। इन नियमित प्रकाशनों के अतिरिक्त संस्थान ने कई अन्य पुस्तकें और रिपोर्टे प्रकाशित की है। रोजगार तथा श्रम मंत्रालय की ओर से Je lekpkj को पुनः प्रकाशित करने की प्रक्रिया विचाराधीन है।

2009–2010 के लिए संस्थान का योजनागत सहायता अनुदान 5 करोड़ मंजूर किया गया है।

vu|l/kku

वी. वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के संगम ज्ञापन में अन्य बातों के साथ–साथ कहा गया है कि संस्थान का उद्देश्य "राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर स्वयं और अन्य एजेंसियों के सहयोग से शोध करना, उसे सहायता दोना, बढ़ावा देना और उसका समन्वयन करना होगा।"

संस्थान 1974 में अपने आरंभ से ही शोध कार्यो को शीर्ष प्राथमिकता प्रदान करके इस महत्वपूर्ण उद्देश्य को पूरा करने का प्रयत्न करता रहा है। संस्थान श्रम मुद्दों के विभिन्न आयामों पर कार्रवाई शोध सहित शोध कार्य में लगा रहा है किन्तु इसका मुख्य केन्द्र सदैव ही श्रम बल के सीमान्त, वंचित और संवेदनशील वर्गो से संबंधित मुद्दे रहे हैं।

संस्थान के शोध कार्यकलापों के प्रमुख उद्देश्यों को मोटे तौर पर तीन वर्गों में रखा जा सकता है:–

- शोध किए जा रहे मुद्दों की सैद्धान्तिक समझ को उन्नत बनाना।
- समुचित नीतिगत प्रतिक्रियाओं के निमार्ण के लिए आवश्यक सैद्धान्तिक और अनुभवजन्य आधार प्रदान करना; और
- मुख्यतः श्रम बल के असंगठित वर्ग द्वारा सामना की जा रही समस्याओं को हल करने की दृष्टि से क्षेत्र स्तरीय कार्रवाइयों/हस्तक्षेपों का पता लगाना।

f’k{kk ,o i f’k{k.k

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान श्रम से संबंधित समस्याओं की बेहतर समझ और उन समस्याओं के निराकरण के लिए विभिन्न उपायों की खोज के प्रति समर्पित है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संस्थान अपनी विविध गतिविधियों के माध्यम से श्रम विषयों पर समेकित ढंग से शिक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है। संस्थान अनुसंधानिक गतिविधियों के माध्यम से विभिन्न लक्ष्य समूहों की आधारभूत आवश्यकताओं का पता लगाता है। अनुसंधान से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर ही संस्थान मौजूदा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में परिवर्तन और सुधार लाता है और नए कार्यक्रम तैयार करता है। कार्यक्रमों में भाग लेने वाले सहभागियों से प्राप्त राय के आधार पर प्रशिक्षणार्थियों को दी जाने वाली सामग्री तथा प्रशिक्षण के पाठयक्रमों में सुधार किया जाता है।

संस्थान द्वारा आयोजित शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को श्रम संबंधों के क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तन के संभावित साधन के रूप में देखा जा सकता है। ये शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम औद्योगिक संबंधों में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में सहायक सिद्ध होते हैं। ग्रामीण इलाकों में इन कार्यक्रमों के माध्यम से आधारिक स्तर (ग्रासरूट्स लेवल) पर नेतृत्व विकसित करने में सहायता मिलती है। इन्हीं कार्यक्रमों में नेतृत्व विकास के माध्यम से ग्रामीण मजदूरों के हितों को भली भांति समझने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वतंत्र संगठन स्थापित किए जाते हैं। इन संगठनों को बनाए रखने में यह संस्थान सहायता भी करता है। संस्थान द्वारा आयोजित शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षणार्थियों के कौशल विकास, दृष्टिकोण में परिवर्तन तथा ज्ञान में वृद्धि करने पर अधिक बल दिया जाता है।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन में दृश्य–श्रव्य संसाधनों, व्याख्यानों, सामूहिक चर्चा तथा व्यवहार विज्ञान की मिली–जुली तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में संस्थान के संकाय सदस्यों के अतिरिक्त अन्य प्रशिक्षण संस्थानों के संकाय सदस्यों को भी आमंत्रित किया जाता है।

अभी हाल ही के वर्षों में संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जहां वर्ष 2000–2001 में प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या 66 थी वहीं 2008–2009 में यह संख्या बढ़कर 120 हो गई है। प्रशिक्षण सामग्री का एक विस्तृत संसाधन बैंक स्थापित किया गया है और सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रशिक्षण सामग्री का मानकीकरण किया गया।

संस्थान निम्नलिखित समूहों के लिए शिक्षा तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता हैः–

- केन्द्र तथा राज्य सरकारों के श्रम प्रशासक और अधिकारी
- सार्वजनिक तथा निजी उद्योगों के प्रबन्धक और अधिकारी
- संगठित और असंगठित क्षेत्राों के ट्रेड यूनियन नेता तथा असंगठितों के संगठक
- श्रम मुद्दों से संबंधित अनुसंधानकर्ता प्रशिक्षक फील्ड वर्कर्स तथा अन्य संबंधित व्यक्ति

वर्ष 2008–2009 के दौरान संस्थान ने निम्नलिखित पहल की हैंः–

i f’k{k.k dk;Øek d vk;k tu e jkT; Je l LFkkuk@vU; l LFkkuk d lkFk uVofd x

संस्थान ने राज्य श्रम संस्थानों, केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, लेबर ब्यूरो तथा समान उद्देश्यों वाले अन्य संस्थानों के साथ नेटवर्किंग तंत्र को संस्थागत बनाने के लिए कई कदम उठाये हैं ताकि श्रम बाजार में क्षेत्रीय विषमताओं पर ध्यान देते हुए श्रम की समग्र समस्याओं पर पर्याप्त रूप से कार्रवाई की जा सके। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए संस्थान ने श्रम कानूनों के प्रवर्तन, बाल श्रम पर सेवाओं के अभिसरण आदि विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन में तमिलनाडु श्रम अध्ययन संस्थान, महाराष्ट्र श्रम अध्ययन संस्थान तथा राज्य श्रम संस्थान, उड़ीसा के साथ सहयोग किया है।

LokLF; eqíks lac/kh dk;ZØeks ij cy

इस बात के प्रमाण हैं कि एच.आई.वी./एड्स नाम की महामारी ने श्रम की दुनिया को बुरी तरह प्रभावित किया है। इस मुद्दे पर उचित कार्रवाई करने के लिए किए जा रहे प्रयासों में सामाजिक भागीदारों की विस्तृत सहभागिता के लिए रणनीतियों के निर्माण हेतु संस्थान ने सामाजिक भागीदारों, गैर–सरकारी संगठनों तथा ट्रेड यूनियन नेताओं जैसे विभिन्न लक्ष्य ग्रुपों के लिए स्वास्थ्य मुद्दों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन की पहल की है।

{kerk fuekZ.k dk;ZØeks ij cy

संस्थान ने बाल श्रम नेतृत्व विकास तथा ग्रामीण श्रम के क्षेत्र में विशेषज्ञ व्यक्तियों के क्षमता निर्माण पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन की पहल की है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उद्देश्य ऐसे विशेषज्ञ व्यक्ति तैयार करना है ताकि इस प्रशिक्षण के बदले वे अपने कैडर के अंतर्गत अपनी विशेषज्ञ सेवाओं को दुगुना और चौगुना कर सके।

mÙkj&iwoZ {ks= ds fy, fo'ks"k dk;ZØe

संस्थान इन कार्यक्रमों पर विशेष बल देता है क्योंकि इस क्षेत्र में प्रशिक्षण सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। यह महसूस किया गया है कि इस क्षेत्र में ग्रामीण विकास के लिए कोई महत्वपूर्ण संगठित प्रयास नहीं किया गया है। इस कमी को दूर करने के लिए संस्थान ने यह निर्णय लिया है कि इन कार्यक्रमों को प्रत्येक वर्ष अपने सूची में शामिल करेगा।

futh {ks= vkSj cMs lkoZtfud {ks= ds fy, bu&gkml dLVekbTM dk;ZØe

संस्थान विभिन्न निजी और सार्वजनिक संस्थानों के लिए इन–हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता रहा है। इन कार्यक्रमों का डिजाइन संबंधित संस्थानों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विशेष रूप से तैयार किया जाता है।

dk;Z'kkyk,@lEesyu

संस्थान कार्यशालाओं/सम्मेलनों/व्याख्यानों के आयोजन को प्राथमिकता प्रदान करता है। कार्यशालाओं/सम्मेलनों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

vUrjk"Vªh; izf'k{k.k dk;ZØe

संस्थान भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के द्वारा आई.टी.ई.सी./एस.सी.ए.ए.पी. प्रोग्राम के अंतर्गत प्रायोजित कार्यक्रमों का आयोजन भी संस्थान करता है। वर्ष 2008–09 के दौरान संस्थान ने

निम्नलिखित कार्यक्रम किए हैंः–

1. प्रिवेंशन आफ एचआईवी/एड्स इन दी वर्ल्ड ऑफ वर्क फॉर गवर्मेंट आफिशिएल्स, ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंटेटिव्स एकेडमी एंड ट्रेनिंग इंस्टिच्यूशंस, सितम्बर 07–25, 2009
2. लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, 05–23 अक्तूबर, 2009)
3. लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस इन ए ग्लोबल इकनॉमी फॉर गवर्मेंट फंक्शनरीज, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ट्रेड यूनियन, एम्प्लॉयीज आर्गनाइजेशंस एंड रिसर्च इंस्टीच्यूशन, 03–20 नवम्बर, 2009
4. मैनेजिंग डेवलपमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी मीजर्स फॉर गवर्मेंट आफिशियल्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ सिविल सोसायटी आर्गनाइजेशन, दिसम्बर 01–18, 2009

अप्रैल 2009 – दिसम्बर 2009 के दौरान आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ब्यौरा

क्र. सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	कार्यक्रमों की संख्या	दिवसों की संख्या	सहभागियों की संख्या
1	श्रम प्रशासन कार्यक्रम	03	15	69
2	औद्योगिक संबंध कार्यक्रम	7	35	154
3	क्षमता निर्माण कार्यक्रम	31	131	926
4	बाल श्रम कार्यक्रम	13	57	324
5.	उत्तर–पूर्व कार्यक्रम	15	72	489
6	स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम	05	22	106
7	अनुसंधान विधि कार्यक्रम	02	32	33
8	समन्वयकारी कार्यक्रम	06	24	185
9	इन–हाउस कार्यक्रम	7	24	183
10	अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम	06	90	145
11	कार्यशाला/सेमिनार	01	01	25
	कुल	**96**	**503**	**2639**

जनवरी–मार्च, 2010 के दौरान आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ब्यौरा

क्र. सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	कार्यक्रमों की संख्या	दिवसों की संख्या
1	श्रम प्रशासन कार्यक्रम	01	05
2	औद्योगिक संबंध कार्यक्रम	02	10
3	क्षमता निर्माण कार्यक्रम	13	56
4	बाल श्रम कार्यक्रम	05	23
5.	उत्तर–पूर्व कार्यक्रम	03	15
6	स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम	00	00
7	अनुसंधान विधि कार्यक्रम	01	12
8	अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम	02	38
	कुल	**27**	**159**

i:dk'ku

श्रम से संबंधित सूचनाओं का सामान्य रूप से और संस्थान द्वारा किए गए अनुसंधान की जानकारी का विशेष रूप से प्रचार–प्रसार करना संस्थान का एक गतिशील कार्यक्रम है। इस उद्देश्य की पूर्ति संस्थान अपने नियमित और आवधिक प्रकाशनों के माध्यमों से करता आ रहा है।

ycj ,.M Moyie V

लेबर एण्ड डेवलपमेंट एक छमाही पत्रिका है। यह पत्रिका सैद्धांतिक विश्लेषणों और अनुभवजन्य अन्वेषणों के माध्यम से श्रम की बेहतर समझ विकसित करने के प्रति समर्पित है। इस पत्रिका में श्रम तथा इससे सम्बद्ध क्षेत्र में उच्च अकादमिक गुणवत्ता के लेख प्रकाशित किए जाते हैं जिनमें सामाजिक, आर्थिक–ऐतिहासिक तथा कानूनी पहलुओं पर अधिक बल दिया जाता है। इसके अतिरिक्त इस पत्रिका में विकासशील देशों के सन्दर्भ में शोध टिप्पणियां तथा पुस्तकों की समीक्षा भी प्रकाशित की जाती है।

vokMZl Mkbt LV

अवार्ड्स डाईजेस्ट एक मासिक पत्रिका है जिसमें श्रम तथा औद्योगिक संबंध के क्षेत्र की नवीनतम निर्णयज विधि का सार प्रकाशित किया जाता है। इस पत्रिका में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों का विनिश्चय तथा केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरणों के निर्णयों को प्रकाशित किया जाता है।

Je fo/kku

श्रम विधान एक द्वैमासिक पत्रिका है जिसमें श्रम तथा औद्योगिक सम्बन्ध के क्षेत्र की नवीनतम निर्णयज विधि का सार प्रकाशित किया जाता है। इस पत्रिका में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के विनिश्चयों तथा केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण के निर्णयों को सार रूप में प्रकाशित किया जाता है।

bn/kuq"k

एक द्वैमासिक पत्रिका (अंग्रेजी एवं हिंदी)

,u-,y-vkbZ vuqla/kku v/;;u lhfjt

संस्थान ने संस्थान के अनुसंधान कार्यकलापों की उपलब्धियों का प्रचार–प्रसार मुख्यतः एन.एल. आई. रिसर्च अध्ययन सीरिज के माध्यम से किया जाता है। अप्रैल 2009 से दिसम्बर 2009 के दौरान निम्नलिखित रिसर्च अध्ययन प्रकाषित किए गए हैंः–

086/2009 वर्किंग वीमेन इन अरबन इंडियाः कंसर्न्स एंड चैलेंजेज – शशि बाला एवं सीमा खन्ना

,u-vkj- M- & jk"Vh; Je lpuk llk/ku dn

श्रम सूचना पर एन.आर.डे. संसाधन केंद्र देश में श्रम अध्ययन के क्षेत्र में एक सर्वविख्यात पुस्तकालय सह अभिलेखण केंद्र है। इस केंद्र का नाम संस्थान के रजत जयंती वर्ष की यादगार में 1 जुलाई, 1999 को संस्थान के संस्थापक डीन स्वर्गीय श्री नितीश आर. डे. की याद में रखा गया था। यह केंद्र पूर्णरूप से कम्प्यूटरीकृत है और इसने कुछ सेवाएं और सामग्रियां उपलब्ध करना आरंभ कर दिया है जो कि निम्न प्रकार हैः

- सूचना का चुनिंदा प्रचार (एस.डी.आई)
- मौजूदा जानकारी सेवा
- बिब्लोग्राफिकल सेवा
- आन लाइन सर्च
- आर्टिकल–इनडेक्सिंग ऑफ जर्नल्स
- अखबारों की कतरनें
- माइक्रो फिच सर्च एंड प्रिंटिंग
- रिप्रोग्राफिक सर्विस
- सी डी रोम सर्च
- आडियो – विडियो सेवा
- मौजूदा विषय–सूची सेवा
- आर्टीकल एलर्ट सर्विस
- लेंडिंग सर्विस
- इंटर–लाइब्रेरी लोन सर्विस

mRikn

- गाइड टू पीरियोडिकल लिटरेचरः क्वार्टरली इन हाउस पब्लिकेशन प्रोवाइडिंग बिब्लोग्राफिकल इंफारमशन ऑफ आर्टिकल्स इन 231 सेलेक्टेड जर्नलस/मैगजींस
- करंट जागरूकता बुलेटिनः क्वार्टरली इन हाउस पब्लिकेशन प्रोवाइडिंग बिब्लोग्राफिकल इंफारमेशन आन एक्वीजीशन इन एन.आर.डी.आर.सी.एल.आई
- न्यूज पेपर आर्टिकल क्लिपिंगः मंथली पब्लिकेशन प्रोवाइडिंग बिब्लोग्राफिकल इंनफारमेशन ऑफ

आर्टिकल्स इन मेजर डेलीज न्यूजपेपर

- आर्टिकल एलर्टः वीकली पब्लिकेशन प्रोवाइडिंग बिब्लोग्राफिकल इंनफारमेशन ऑफ इंपोरटेंट आर्टिकल्स इन सेलेक्ट जर्नलस/मैगजींस
- मौजूदा विषय–सूची सेवाः मासिक प्रकाशन। यह प्रकाशन संस्थान में मंगवाये जाने वाली पत्र–पत्रिकाओं की विषय सूची का संकलन है।

उपरोक्त सेवाओं के अतिरिक्त राष्ट्रीय श्रम सूचना संसाधन केन्द्र में बाल श्रम पर अलग से एक प्रलेख–पोषण केन्द्र है।

lLFkku dk foÙk

इस संस्थान का वित्त पोषण श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त संस्थान प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं परामर्शी सेवाओं के द्वारा आय अर्जित करने के साथ–साथ अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एवं यूनीसेफ द्वारा वित्तपोषित आनुसंधानिक काम भी करता है।

ctV xfrfof/k;k	ctV vkdyu	l’kksf/kr vkdyu
oxhZdj.k ¼iLrkfor½ ¼2007&2008½	2009&2010	2009&2010 (रू. लाख में)
योजनागत		
अनुसंधान एवं अन्य शिक्षण योजनाएं	308	308
सिविल कार्य और आधारभूत ढ़ांचे का विकास	142	142
पुस्तकों तथा पत्र–पत्रिकाओं में वृद्धि	50	50
कुल	500	500
xSj ;kstukxr ¼iLrkfor½		
भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	330	313.50
संस्थान की आय	158	158
कुल	488	471.50
2010&11 ds fy, iLrkfor vkdyu	l’kksf/kr vkdyu (2009&2010)	ctV vkdyu (2010&2011)
सरकार से प्राप्त गैर योजनागत सहायता अनुदान	330	410
संस्थान की आय	158	168
कुल	488	578
;kstukxr		
सिविल कार्य और आधारभूत ढ़ांचे का विकास	142	100

शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परियोजनाएं	308	310
पुस्तकों एवं पत्रिकाओं में वृद्धि	50	40
योग	500	450

31-01-2010 dh fLFkfr d vu|lkj LVkQ l[;k

ग्रुप 'ए'	
निदे ाक	1
संकाय	9
अधिकारी	3
ग्रुप 'बी'	7
ग्रुप 'सी'	17
ग्रुप 'डी'	25
d|y	62

ख श्रमिक शिक्षा योजना

प्रस्तावनाः

भारत सरकार, श्रम मंत्रालय द्वारा प्रायोजित केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड (के.श्र.शि.बो.) की स्थापना राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं इकाई / ग्रामीण स्तर पर श्रमिक शिक्षा योजना के कार्यान्वयन के लिए सन् 1958 में एक त्रिपक्षीय संस्था के रूप में हुई। बोर्ड का मुख्यालय नागपुर में है।

प्रशिक्षण कार्यक्रमः

बोर्ड वर्तमान में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को तीन स्तरों में आयोजित करता हैः-

1) शिक्षा अधिकारी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अभ्यर्थियों (खुली प्रतियोगिता द्वारा भर्ती किए गए) का प्रशिक्षण।

2) सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के पश्चात ये शिक्षा अधिकारी विभिन्न क्षेत्रीय निदेशालयों में चुने गये श्रमिकों को प्रशिक्षकों के रूप में प्रशिक्षण देने के लिए तैनात किए जाते हैं, और

3) क्षेत्रीय निदेशालय में अपने प्रशिक्षण पूरा करने के बाद ये प्रशिक्षक अपने प्रतिष्ठानों में वापस जाकर अपनी-अपनी इकाइयों में सामान्य श्रमिकों के लिए कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ये दो तरह के होते हैं - डेढ़ माह की अवधि की इकाई स्तर की कक्षाएं एवं छह माह की अवधि की कार्यात्मक प्रौढ़ साक्षरता कक्षाएं - विशेषकर खानों एवं बागानों के श्रमिकों, जहाँ निरक्षरता की प्रतिशतता बहुत है, के लिए आयोजित किए जाते हैं। उद्योगों, खानों एवं बागानों में विभिन्न श्रेणी के श्रमिकों के लिए कार्यक्रम

आयोजित किए जाते हैं। प्रबंधन में भागीदारी पर (3 दिन की अवधि) एवं संयुक्त परिषदों के सदस्यों के लिए (2 दिन की अवधि) संयंत्र स्तर पर संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।

प्राथमिकता में परिवर्तनः

बोर्ड अपनी गतिविधियों और कार्यक्रमों का समय-समय पर पुनरीक्षण करता आ रहा है। अब वर्ष 1977-1978 से संगठित क्षेत्र में श्रमिकों के प्रशिक्षण के स्थान पर असंगठित, ग्रामीण क्षेत्र और समाज के दुर्बल वर्ग के श्रमिकों के प्रशिक्षण को प्राथमिकता दी जा रही है। अनुकूल औद्योगिक संबंधों का वातावरण तैयार करने की दृष्टि से श्रमिकों तथा प्रबंधनों के प्रतिनिधियों के लिए संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन पर भी अधिक ध्यान दिया जा रहा है। श्रम संघ कार्यकर्ताओं के लिए व्यक्तित्व विकास कार्यक्रमों के आयोजन पर भी अधिक जोर दिया जा रहा है। श्रमिकों की भागीदारी, उत्पादकता, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों और महिला श्रमिकों, बाल श्रमिकों, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति श्रमिकों, ग्रामीण श्रमिकों के लिए विशेष कार्यक्रम कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन को अधिक महत्व दिया जा रहा है।

भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थानः

बोर्ड के शीर्षस्थ प्रशिक्षण संस्थान, भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान, (मुंबई) की स्थापना सन् 1970 में की गई थी। संस्थान की मुख्य गतिविधियाँ और कार्यक्रम इस प्रकार हैं :-

क) शिक्षा अधिकारियों का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करना

ख) बोर्ड के अधिकारियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम और कार्यशाला तथा कर्मचारियों के लिए उनकी सेवा अवधि के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना

ग) केन्द्रीय श्रम संघ संगठनों/ राष्ट्रीय परिसंघों के कार्यकर्ताओं हेतु उच्च प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना ।

प्रशिक्षण पाBयक्रमः

भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान ने केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के 84 कर्मचारियों के लिए 04 कार्यक्रमों जो आयोजित किया। संस्थान ने अप्रैल, 2009 से दिसम्बर, 2009 के दौरान केन्द्रीय श्रमिक संघ संगठनों एवं राष्ट्रीय औद्योगिक परिसंघों के नामितों के लिए एक सप्ताह की अवधि के 24 कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जिनमें 488 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इन कार्यकर्ताओं में 129 महिलाएँ थीं।

वर्ष 2009-2010 के दौरान बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशालयों ने निम्नलिखित कार्यक्रमों को आयोजित किया।

प्रशिक्षकों का प्रशिक्षणः

रिपोर्टाधीन अवधि (अप्रैल, 2009 से दिसम्बर, 2009) के दौरान बोर्ड ने अपने विभिन्न क्षेत्रीय एवं उपक्षेत्रीय निदेशालयों द्वारा आयोजित किए गए डेढ़ माह की अवधि के 08 पाठ्यक्रमों में 204 प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया।

पुनश्चर्या पाBचक्रमः

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान प्रशिक्षकों के लिए 06 पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 83 प्रशिक्षकों ने भाग लिया ।

व्यक्तित्व विकास कार्यक्रमः

श्रमिकों में नेतृत्व गुणों का विकास करने के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का क्षेत्रीय/ उपक्षेत्रीय निदेशालयों में आयोजन किया जा रहा है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 63 व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम आयोजित किए गये जिनमें 1506 श्रमिकों ने भाग लिया ।

इकाई स्तरः

वर्ष 2009-2010 की अवधि के दौरान (अप्रैल, 2009 से दिसम्बर, 2009) इकाई स्तर की कक्षाओं के 77 सत्रों में 2086 श्रमिकों को प्रशिक्षित किया गया ।

जीवन की गुणवत्ता कार्यक्रमः

श्रमिकों एवं उनके जीवनसाथियों के लिए उनके व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु, उनमें अच्छे संबंधों तथा स्वास्थ्य, आहार, पर्यावरण स्वच्छता तथा उत्पादकता इत्यादि के विषय में उनमें जागरूकता का निर्माण करने के साथ ही श्रमिकों को इन बदलाव को स्वीकारने हेतु तैयार करने के लिए 2/4 दिवसीय अवधि के जीवन की गुणवत्ता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

सत्र के दौरान अप्रैल, 2009 से दिसम्बर, 2009 की अवधि में 41 जीवन की गुणवत्ता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनमें असंगठित क्षेत्र के 1438 श्रमिकों को प्रशिक्षित किया गया।

आवश्यकता पर आधारित परिसंवादः

बोर्ड द्वारा उद्योगों की विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार उद्योगों में कार्य संस्कृति तथा उत्पादकता में सुधार लाने हेतु क्षेत्रीय/ उप-क्षेत्रीय निदेशालयों में 2/5 दिवसीय अवधि के आवश्यकता पर आधारित परिसंवाद का आयोजन किया जाता है। अप्रैल, 2009 से दिसम्बर, 2009 के दौरान बोर्ड ने 359 आवश्यकता

पर आधारित परिसंवादों का आयोजन किया जिनमें 9979 श्रमिकों ने भाग लिया।

स्वयंकोष निर्माण कार्यक्रमः

बोर्ड ने रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान (अप्रैल, 2009 से दिसम्बर, 2009) क्षेत्रीय स्तर पर 1/ 2/ 3 दिवसीय अवधि के 555 पाठ्यक्रमों में 10853 श्रमिकों को प्रशिक्षित किया।

विशेष कार्यक्रम / परिसंवादः

विशेष रूप से उत्तर-पूर्व क्षेत्र के श्रमिक संघ कार्यकर्ताओं के लिए 13 कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें 375 प्रतिभागियों ने भाग लिया। जिनमें एच आई वी/एड्स के विषय में जागरूकता निर्माण करने के लिए 51 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

लघु/ असंगIBत क्षेत्र/ दुर्बल वर्ज के श्रमिकों के लिए कार्यक्रमः

असंगठित क्षेत्र एवं लघु उद्योगों में नियोजित श्रमिक विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत उनके अधिकारों एवं हकों, संगठन के प्रति उनके उत्तरदायित्वों, कार्यस्थल में स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं कल्याण, न्यूनतम मजदूरी से संबंधित सुरक्षात्मक प्रावधानों से अनभिज्ञ रहते हैं। चूँकि ये श्रमिक छोटी-छोटी औद्योगिक इकाइयों में बिखरे हुए हैं, अतः उनके संगठन आवश्यक सामूहिक सौदेबाजी क्षमता में कमजोर रहते हैं।

बोर्ड असंगठित एवं लघु क्षेत्र तथा दुर्बल वर्ज के श्रमिकों के लिए सन् 1979 से 2/4 दिवसीय शिविर आयोजित करता आ रहा है। इन शिविरों में भाग लेने वाले असंजठित/ दुर्बल वर्ज जे श्रमिक सामान्यतः हथकरघा, बिजलीकरघा, खादी एवं ग्रामोद्योग, नारियल जटा, लघु उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र, हस्तशिल्प, रेशम उद्योग, बीड़ी उद्योग, काँच, पीतल एवं स्लेट निर्माण उद्योग आदि से संबंधित होते हैं। उसी तरह महिला श्रमिज, बाल श्रमिज, युवा श्रमिज, विज लांज श्रमिज, भव-ा ि-ार्माज श्रमिज, सिर पर बोझा उठा-ो वाले श्रमिज, रिक्शा चालज, पत्थर जदा-ा श्रमिज, ठेजा श्रमिज और अ-य दुर्बल वर्ज जे श्रमिजों जे लिए शिविर आयोजित जिए जाते हैं। इ-ा जार्यक्रमों जा उद्देश्य श्रमिजों में उ-ाजे अधिजार एवं दायित्व, उ-ाजी समस्याओं, जार्यस्थल पर संरजजात्मज श्रम जा-ाू-ाों, सामाजिज बुराइयों से लड़-ो हेतु सरजार जी विभिन्न जल्याजजारी योज-ााओं आदि जे प्रति जाजरूजता उत्पन्न जर-ाा तथा समस्याओं जा समाधा-ा ढूँढ-ो में उ-हें मदद जर-ाा तथा उ-ाजे स्वयं जे संजठ-ा जो विजसित जर-ो में उ-ाजो सहायता प्रदा-ा जर-ाा है।

वर्ष 2009-2010 के दौरान (दिसम्बर, 2009 तज) 417 शिविर आयोजित किए गए थे, जिनमें 16781 श्रमिकों ने भाग लिया। लक्ष्य समूह की कार्यात्मक आवश्यकताओं को समझने के बाद शिविर क्षेत्रीय एवं उपक्षेत्रीय निदेशालयों अथवा अर्धशहरी स्थलों पर आयोजित किए गए थे। इन शिविरों में प्रशिक्षित श्रमिकों का श्रेणीवार विवरण निम्न प्रकार है :

वर्ष 2009-2010 के दौरान असंगठित क्षेत्र में प्रशिक्षित श्रमिक (दिसम्बर, 2009 तक)

क्र. सं.	श्रेणी	कार्यक्रमों की संख्या	पुरुष				महिला				कुल योग
			अनु. जाति	अनु. जन जाति	अन्य	कुल	अनु. जाति	अनु. जन जाति	अन्य	कुल	
1.	हथकरघा	57	77	99	349	525	441	141	1115	1727	2252
2.	बिजलीकरघा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	खादी एवं ग्राम उद्योग	3	18	-	18	36	30	1	50	81	117
4.	लघु उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	हस्तशिल्प	2	-	-	1	1	-	-	78	78	79
6.	नारियल जटा उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	बीड़ी उद्योग	1	-	-	-	-	40	-	-	40	40
8.	नमक उद्योग श्रमिक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	रैग पिकर्स	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	अन्य 4 दिवसीय	3	2	-	11	13	4	-	103	107	120
11.	2 दिवसीय	351	499	378	1347	2224	2927	966	8056	11949	14173
	कुल	**417**	**596**	**477**	**1726**	**2799**	**3442**	**1108**	**9402**	**13982**	**16781**

पत्थर खदान एवं पत्थर पीसने वाले श्रमिकों के लिए शिविरः

क्षेत्रीय निदेशालय, फरीदाबाद ने भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार फरीदाबाद क्षेत्र में पत्थर खदान एवं पत्थर पीसने वाले श्रमिकों के लिए शैक्षिक शिविरों का आयोजन किया। बोर्ड ने अप्रैल, 2009 से दिसम्बर, 2009 तक 478 श्रमिकों के लिए ऐसे 12 शिविर आयोजित किये गये।

दुर्बल वर्ग के श्रमिकों के लिए पाB्यक्रमः

बोर्ड ने अप्रैल, 2009 से दिसम्बर, 2009 के दौरान दुर्बल वर्ज जे 1595 श्रमिकों के लिए 42 कार्यक्रमों का आयोजन किया। पाठ्यक्रम के विषय लचीले थे और प्रत्येक पाठ्यक्रम को विशेष वर्ग के श्रमिकों की कार्यात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया था। अधिकारों एवं दायित्वों के प्रति प्रतिभागियों में जागरूकता पैदा करने पर पूरा जोर दिया गया था। इन पाठ्यक्रमों में संगठन का महत्व, कार्यात्मक उन्नयन, कल्याणकारी कानून सहित उन्नति की योजनाएँ, सामाजिक बुराइयों का विरोध, पारिवारिक बजट आदि अन्य विषयों पर भी चर्चा की गई थी। इन कार्यक्रमों में प्रशिक्षित श्रमिकों का श्रेणीवार ब्यौरा निम्न प्रकार हैः

श्रेणीवार ब्यौरा

क्र. सं.	श्रेणी	शिविरों की संख्या	पुरुष				महिला				कुल योग
			अनु. जाति	अनु. जन जाति	अन्य	कुल	अनु. जाति	अनु. जन जाति	अन्य	कुल	
1.	महिला श्रमिक	37	-	-	-	-	453	58	893	1404	1404
2.	बाल श्रमिक	1	6	-	5	11	10	-	10	20	31
3.	युवा श्रमिक	4	2	1	51	54	39	-	67	106	160
4.	नगर-विषयक एवं सफाई कर्मचारी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	निर्माण श्रमिक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	सिर पर बोझा ढ़ोने वाले श्रमिक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	रिकशा चालक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	पत्थर खदान श्रमिक 04 दिवसीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02 दिवसीय	12	80	26	66	172	200	33	73	306	478
9.	अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल		**54**	**88**	**27**	**122**	**237**	**702**	**91**	**1043**	**1836**	**2073**

जीवन की गुणवत्ता कार्यक्रमः (असंगठित क्षेत्र)

श्रमिकों एवं उनके जीवनसाथियों के बीच बेहतर सम्बन्ध के लिए उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन लाने तथा स्वास्थ्य का महत्व, स्वास्थ्य विज्ञान एवं पोषण, पर्यावरण स्वच्छता एवं उत्पादकता चेतना के प्रति उनके जीवन में जागरूकता भी लाने की दृष्टि से एवं उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए प्रतिभागियों के बीच जागरूकता पैदा करने तथा असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के विकास के लिए सरकार की योजना को बताने के लिए असंगठित क्षेत्र में 2/4 दिवसीय जीवन की गुणवत्ता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि श्रमिक परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए तैयार हो सकें।

रिपोर्टाधीन सत्र अप्रैल, 2009 से दिसंबर, 2009 के दौरान असंगठित क्षेत्र में 116 जीवन की गुणवत्ता कार्यक्रम आयोजित किए गये और 4384 श्रमिक प्रशिक्षित किए गये।

ग्रामीण क्षेत्र में सशक्तीकरण कार्यक्रमः

अप्रैल, 2009 से दिसम्बर, 2009 की अवधि के दौरान 22 सशक्तीकरण कार्यक्रमों के जरिए कुल 840 श्रमिक लाभान्वित हुए हैं।

श्रम ज्ल्याज एवं विज्ास ज्ार्यज्र्म:

बोर्ड द्वारा अप्रैल, 2009 से दिसम्बर, 2009 तज जी अवधि जे दौरा-ा, दो दिवसीय अवधि जे 343 श्रम ज्ल्याज एवं विज्ास ज्ार्यज्र्म आयोजित जिए जए जि-ामें 13358 श्रमिज लाभा-वित हुए हैं।

विशेष परिसंवादः

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा असंगठित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के श्रमिकों जैसे महिला श्रमिकों, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति श्रमिकों, बाल श्रमिकों एवं बाल श्रमिकों के अभिभावकों के लिए दो दिवसीय अवधि जे विशेष परिसंवाद आयोजित किए जाते हैं। अधिक से अधिक स्वरोजगार को उत्पन्न करने की दृष्टि से केन्द्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न सामाजिक योजनाएं, स्वावलम्बन समूह का महत्व आदि के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाता है।

ग्रामीण क्षेत्रः

बोर्ड ने सन् 1977 से ग्रामीण श्रमिक शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करना प्रारम्भ किया है। इसके अंतर्गत भूमिहीन श्रमिकों, आदिवासी श्रमिकों, कृषि श्रमिकों, सीमान्त कृषकों, मत्स्योद्योग श्रमिकों, ग्रामीण कारीगरों, वन श्रमिकों एवं ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

अप्रैल, 2009 से दिसम्बर, 2009 की अवधि के दौरान दो दिवसीय ग्रामीण जागरूकता शिविरों एवं 04 दिवसीय सशक्तीकरण शिविरों तथा एक दिवसीय पुनःप्रशिक्षण कार्यक्रम के जरिए बोर्ड ने 34375 श्रमिकों के लिए 871 कार्यक्रम आयोजित किया।

प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारीः

प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी योजना केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा सन् 1996-97 से कार्यान्वित की जा रही है। सार्वजनिक क्षेत्र/ उपक्रम अथवा संयुक्त परिषदों एवं द्विपक्षीय समिति वाले सरकारी संस्थानों में योजना कार्यान्वित की जाती है।

अप्रैल, 2009 से दिसम्बर, 2009 की अवधि में प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के 24 कार्यक्रम आयोजित किए गये जिनमें 720 श्रमिक प्रशिक्षित हुए।

महिला श्रमिज:

रिपोर्टाधी-ा अवधि जे दौरा-ा बोर्ड जे विभिन्न प्रशिजज ज्ार्यज्र्मों में 90722 महिला श्रमिजों जो प्रशिजित जर दिया जया है।

साहित्य एवं दृश्य साधनः

बोर्ड ने वर्ष 2009-2010 के दौरान दिसम्बर, 2009 तज हिन्दी /अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में 02 पुस्तिकाओं का प्रकाशन किया है जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः

1) वाचन एवं विश्लेषण एक तुलन पत्र

2) औद्योगिक कल्याण

सचित्र पुस्तिकाएँः
(हिन्दी / अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषा)

बोर्ड ने वर्ष 2009-2010 के दौरान दिसम्बर, 2009 तक विभिन्न विषयों पर, हिन्दी /अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में 02 पुस्तिकाओं का प्रकाशन किया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः

1) न्यूनतम मजदूरी (छह भाषाओं में)

(गुजराती/ तमिल/ तेलुगु/ बेंगाली/ असामी एवं मणिपुरी)

2) सुरक्षा क्यों? (हिन्दी/अंग्रेजी में)

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान बोर्ड द्वारा प्रकाशित सभी पुस्तिकाओं, वार्षिक रिपोर्ट, त्रैमासिक पत्रिका तथा अन्य सभी प्रकाशनों के लिए कवर डिजाइन्स/चित्र तैयार किए गए थे।

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड न्यूज एवं समाचारः

माह नवम्बर एवं दिसम्बर, 2009 का अंग्रेजी में सी.बी.डब्ल्यू.ई. न्यूज केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के वेबसाइट पर लोड कर दिया गया है।

सहायता अनुदानः

बोर्ड 3-7 दिनों की अवधि के अल्पकालिक कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए पंजीकृत श्रम संघों एवं समितियों को कुल ग्राह्य व्यय का (90%) वित्तीय सहायता प्रदान करता है। सहायता अनुदान योजना के आरंभ से अर्थात 1960 से लेकर दिसम्बर, 2009 तक 1389 श्रमिक संघों/ संगठनों ने बोर्ड से **रु.24,290,501.62/-** की राशि सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त कर **6,72,163** श्रमिकों को प्रशिक्षित किया। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान (दिसम्बर, 2009 तज) बोर्ड ने **रु.6,01,602/-** का अनुदान दिया और अनुदान प्राप्त करने वाले संगठनों ने **4719** श्रमिकों को प्रशिक्षित किया।

वित्तीय आवश्यकताएँ: (रुपये करोड़ में)

	वर्ष 2008-2009 के लिए वास्तविक व्यय	वर्ष 2009-2010 के लिए बजट आकलन (संस्वीकृत) (प्रस्तावित)	वर्ष 2009-2010 के लिए संशोधित आकलन (प्रस्तावित)	वर्ष 2010-2011 के लिए बजट आकलन
योजना	9.71	9.00 *	15.95	29.83
गैर - योजना	28.00	25.08	53.68	43.69

* उत्तर-पूर्व क्षेत्र को रु.1.80 करोड़ अनुदान शामिल

अप्रैल, 2009 से दिसम्बर, 2009 तक वास्तविक व्यय

(रुपये करोड़ में)

योजना	**06.07**
गैर - योजना	**27.32* (273150000*)**

दिसम्बर, 2009 तक गैर-योजना के अंतर्गत मंत्रालय से प्राप्त वास्तविक अनुदान के साथ-साथ रुपये *9.31(रु. 93050000) अधिक व्यय बोर्ड ने किया है। केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के स्वंय कोष निर्माण खाते में से रु.9.31 की अधिक राशि उधार ली गयी है और जल्द ही इस राशि को मंत्रालय से प्राप्त होने वाली संशोधित आकलन आबंटन से वापस करना है। दिसम्बर, 2009 तक वास्तविक प्राप्ति रुपये 18.76 करोड़ है जिसमें कार्यकारी शेष के रूप में मार्च, 2009 में प्राप्त रुपये 75 लाख सम्मिलित है जो मार्च, 2009 के वेतन भुगतान करने के लिए प्राप्त हुआ था जिसे माह अप्रैल, 2009 में भुगतान किया गया है।

संगठनों की प्रत्यक्ष प्रशिक्षण गतिविधियों के अंतर्गत लक्ष्यों और उद्देश्यों की उपलब्धियाँ :-

कार्यक्रम	वास्तविक उपलब्धियाँ 2008-2009	बजट अवस्था में अनुमानित 2009-2010	संभावित उपलब्धियाँ 2009-2010		प्रस्तावित 2010-2011
			अप्रैल, 2009 से दिसम्बर, 2009	जनवरी, 2010 से मार्च, 2010	
योजना					
1) 02दिवसीय कार्यक्रमों एवं 04 दिवसीय संचेतना शिविरों में ग्रामीण श्रमिकों का प्रशिक्षण	60588	100000	34375	130375	100000
2) श्रमिकों के लिए जीवन की गुणवत्ता पर विशेष कार्यक्रम (4/2 दिवसीय)	12738	20000	5822	14178	20000
3) आवश्यकता पर आधारित परिसंवाद (02 दिवसीय)	10011	12000	9979	21	12000
4) स्वयंकोष निर्माण के अंतर्गत कार्यक्रम (1/2/3 दिवसीय)	18006	15000	10853	6647	15000
5) आवश्यकता पर आधारित परिसंवाद (3-5दिवसीय)	-	200	0	1000	200
6) दो दिवसीय विशेष परिसंवाद सहित 4/2 दिवसीय शिविरों में लघु उद्योग/असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का प्रशिक्षण	100892	120000	61682	58318	120000
7) क्षेत्रीय निदेशालय को खोलना	मामला प्रक्रियाधीन है	2	-	-	2
8) प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण - डेढ़ माह	383	500	204	296	500
9) प्रशिक्षकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम	173	300	83	217	300
10) व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम	1502	2200	1506	694	2200
11) भागीदारी प्रबंधन पर संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम (3 दिवसीय)	485	4000	27	3973	4000
12) संयुक्त परिषदों के नए सदस्यों के लिए संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम (2/1 दिवसीय)	18446	12800	आबंटित प्राप्त लक्ष्य	-	12800
13) डेढ़ माह अंशकालीन और (3 सप्ताह) पूर्णकालीन इकाई स्तर की कक्षाएं	2634	7000	2086	4914	7000
14) कार्यात्मक प्रौढ़ साक्षरता कक्षाओं में श्रमिकों का प्रशिक्षण	24	2000	2000	2000	2000
15) संयंत्र स्तर पर विशेष परिसंवाद (01दिवसीय)	2874	2000	आबंटित प्राप्त लक्ष्य	0	2000
16) प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी	796	950	720	230	950
17) स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर शैक्षिक परिसंवाद	9622	0	720	230	0